अपील/3068/III/15

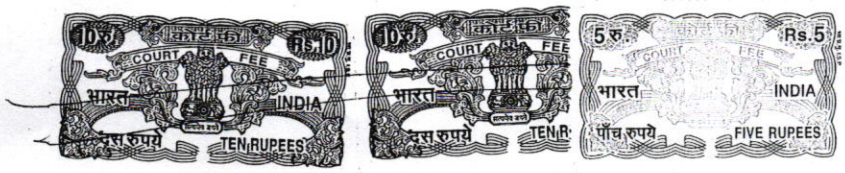

न्यायलय श्रीमान राजस्व मण्डल महोदय ग्वालीयर म.प्र.

कैम्प उज्जैन

अपील प्रकरण कमांक---/15

रामू पिता भैरू जाति भील आयु 32 वर्ष
निवासी – बागलीया, तहसील प्रतापगढ़
जिला – प्रतापगढ़ राजस्थान
हाल मुकाम अचेरी, तहसील व जिला मंदसौर म.प्र. ------- अपीलार्थी

दिनांक 10.9.15 को श्री लोकेन्द्र सिंह ... द्वारा प्रस्तुत

बनाम

म.प्र. शासन ---------------- प्रतिप्रार्थी

10.9.15
SO

अपील अन्तर्गत धारा 44 '2' 3 भू राजस्व संहिता न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के निर्णय दिनांक 18.11.2014 में पारीत के विरूद्व म.प्र.राजस्व मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत हो गई जो कि मंत्रालय से मूल प्रकरण अपीलार्थी को लोटाये जाने के बाद उक्त अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

माननीय महोदय

अपीलार्थी की और से निम्न द्वितिय अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि :–

1. यह कि अपीलार्थी ग्राम अचेरी तहसील मंदसौर व जिला मंदसौर का स्थाई निवासी होकर अपीलार्थी की स्वामीत्व की भुमि जिसका सर्वे कमांक 194/1 रकबा 0.784 हेक्टयर की भुमि जो कि भुमि अधिक उपजाउ नहीं होने से अपीलार्थी के द्वारा उक्त भुमि को ग्राम के अन्य रहवासी को बेचकर अपीलार्थी ग्राम बागलीया में भुमि खरिद चुका है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक अपील 3068–तीन/2015 जिला मन्सौर

रामू पिता भैरू विरूद्ध म0प्र0 शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29–1–2016	अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 18–11–14 के विरूद्ध म0प्र0 शासन राजस्व विभाग को अपील कर दी गई थी, परन्तु संहिता की धारा 44(2) की उपधारा 3 के प्रावधान अनुसार अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में प्रस्तुत करने हेतु राजस्व विभाग से वापस ली जाकर इस न्यायालय दिनांक 10–9–15 को प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी द्वारा राजस्व न्यायालय में लगभग 4 माह विलम्ब से प्रस्तुत की तथा राजस्व विभाग से वापस प्राप्त होने के पश्चात भी लगभग 5 माह विलम्ब से इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का कोई ठोस आधार पर अपील में प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रथमदृष्टया ही अपील अवधि बाह्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि ''आवेदक की ओर से प्रस्तुत इकरारनामा दिनांक 7–5–11 जो मोहनलाल पिता रतनलाल जटिया निवासी अचेरी अचेरी द्वारा अपनी भूमि सर्वे कमांक 125 रकबा 2.09 हे0 में से रकबा 1.26 हे0 भूमि आवेदक रामू पिता भेरूलाल भील	

निवासी बागलिया तहसीलव व जिला प्रतापगढ़ को विकय करने के संबंध में निष्पादित किया गया है। उस पर आवेदक रामू के कहीं हस्ताक्षर नहीं है। इससे स्पष्ट है कि आवेदक मोहनलाल से कोई भूमि कय नहीं करना चाहता है, मात्र स्वयं के नाम से ग्राम अचेरी में स्थित भूमि को विकय करना चाहता है, केवल भूमि विकय की अनुमति प्राप्त करने के उद्देश्य से उक्त इकरारनामा प्रस्तुत किया गय है।'' अपर आयुक्त द्वारा निकाले गये निष्कर्ष में प्रथमदृष्टया किसी प्रकार की अवैधानिकता अथवा अनियमितता प्रकट नहीं होने से अपील अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य